



कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 4584/12-1

दिनांक, मसूरी

10-06-2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्पूड, टिहरी गढ़वाल।

विषय :-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-जौनपुर के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.00किमी0) के निर्माण हेतु वांछित 2.295 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।(आनलाईन प्रस्ताव सं0 -FP/UK/ROAD/13390//2015)

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 558/21सी0 दिनांक 27-05-2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन एवं इस कार्यालय की पत्र सं0 4203/12-1, दिनांक 26-4-2020 द्वारा जारी डिमान्ड नोट के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 35,01,270.00(पैंतीस लाख एक हजार दो सौ सत्तर) मात्र जमा करने का चालान नोडल कार्यालय में जॉय करने हेतु ऑनलाईन भेजा गया किन्तु नोडल कार्यालय द्वारा वन विभाग के पक्ष में देय सभी निधियों की धनराशि की समीक्षा एवं पुनः आंकलन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 8-6-2020 को नोडल कार्यालय से दूरभाष पर वार्ता की गयी। नोडल कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा दि0 07-02-2020 को निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में न किये जाने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का आगामी वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित दर के आधार पर वन प्रभाग द्वारा पुनः आंकलन करते हुए संशोधित डिमान्ड नोट प्रेषित है। अधिरोपित शर्तों के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी/ लो0नि0वि0 द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है:-

1. प्रतिपूरक वनीकरण: शर्त संख्या-1 (क) के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय /लागत पर गैर वानिकी भूमि ग्राम रिंगालगढ़ सिविल सोयम भूमि खसरा नम्बर 250, 268, 299, 817, 818 एवं 849 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक /क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरों पर रू0 16,85,920.00 की धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश पत्रांक संख्या-क-972/3-5-2(प) दिनांक 21, नवम्बर, 2017 के अनुसार किया गया है।

वसूली वर्ष 2020-21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि का विवरण:-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी सिविल सो0भूमि
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दर प्रति है0-
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि-

ग्राम-रिंगालगढ़-2.295 X 2= 4.59 अर्थात 5.00 है0
3,37,184.00 प्रति है0
5.00 X 3,37,184.00= 16,85,920.00

- 1.1 शर्त संख्या-2 के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही उच्च /सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन कर आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करवायी जायेगी। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रसारित की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राजस्व विभाग /वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ मौके पर उपस्थित होकर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम रिंगालगढ़ सिविल सोयम भूमि खसरा नम्बर 250, 268, 299, 817, 818 एवं 849 कुल रकबा 5.00 है0 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को चिन्हित करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित /हस्तान्तरित एवं नोटिफिकेशन कर आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करानी होगी। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रसारित की जायेगी।

2. शर्त संख्या-3 शुद्ध वर्तमान मूल्य के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 2295 है0 हेतु 8,97,000.00 प्रति है0 की दर से मु0 20,58,615.00 की धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0की नांगा का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

(क) "प्रमाणित किया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (चजण2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

ईको-क्लास श्रेणी	- VI
हरियाली का घनत्व	- 0.40
एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	- मु0 8,97,000.00 प्रति है0
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	- 2.295 है0
एन0पी0वी0 की कुल देय धनराशि	- 2.295 है0 x 8,97,000.00 = 20,58,615.00

3. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो अथवा सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी इस आशय का एक शपथ-पत्र / वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
4. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 108 से अधिक न हो।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑनलाईन भी अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सभी शर्तों की अनुपालना के पश्चात् ही भारत सरकार के पत्रांक 11-42/2017-23 दिनांक 29.01.2018 एवं उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 941/ग- 4-18/1-05 (04)/2018 दिनांक 26-09-2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की परिपूर्ण अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर ही प्रकरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रभाग स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना सम्भव होगा।

भूखंडीया

(कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 4584/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्न को उक्त विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर प्रेषित।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उप प्रभाग वनाधिकारी(देहरादून) मसूरी वन प्रभाग।
4. वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर को इस निर्देश के साथ कि पत्र में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाये यह सुनिश्चित कर लें।

(कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक-4263/12-1, दिनांक: मसूरी, 26.4-2020।

शेवा में,

अभिषारी अभियन्ता,
अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०,
थत्युड, टिहरी गढ़वाल।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-जौनपुर के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.00किमी०) के निर्माण हेतु वांछित 2.295 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (आनलाईन प्रस्ताव सं० -FP/UK/ROAD/13390/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर-केन्द्रीय), देहरादून की पत्र सं० 08वीं/यू०सी०पी०/06/102/2018/एफ०सी०/2502, दिनांक 07-02-2020, एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं० 2118/FP/UK/ROAD/13390/2015, दिनांक 17 फरवरी, 2020

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर-केन्द्रीय), देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। भारत सरकार एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के उक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल(है० में)/पौघ	दर	देय धनराशि
1.	प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले ग्राम रिंगालगढ़ सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	5.00है०	3,06,531.00/है०	15,32,655.00
2.	एन०पी०वी०	2.295है०	8,97,000.00/है०	20,58,615.00
योग :-				35,91,270.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि /धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 व 2 तथा अन्य शर्तों 3, 4, 5 एवं 6 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेजों /अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भुवदीया
(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 4263 /दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में सादर प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Phone/Fax: 0135 2767611

फरवरी, 2020

पत्रांक-

/FP/UK/ROAD/13390/2015

प्राप्ति संख्या

पत्रावली संख्या

दिनांक

शाखा

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,

थत्पूड (टिहरी गढ़वाल)।

विषय:-जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिगासियाखंड से दड़क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/13390/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/06/102/2018/एफ0सी0/2502 दिनांक 07-02-2020 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सन्बन्ध में अवगत कराना है कि FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु-8, उपबिन्दु-क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगे, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

2- क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दर से देय धनराशि जमा होने के पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धनराशि के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त की जायेगी, जिसे भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु नोडल अधिकारी कार्यालय को मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के parivesh.nic.in पर Online अपने user account में जाकर stage II Clearance में पहले mutation की detail (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या Online एवं ऑफलाईन (तीन हार्ड प्रतियों में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से) इस कार्यालय को प्रेषित की जानी है। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्न :-यथोपरि।

भवदीय

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी

संख्या 2118 / FP/UK/ROAD/13390/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी

क्र०सं०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	घनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	5	181	905.00
2	क्षेत्र की सफाई (लैन्डाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	5	5436	27180.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० है०	472.5	399	188527.50
4	कंदूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति र.मी.	1500	11	16500.00
5	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्ढा खुदान	प्रति गड्ढा	5000	11.42	57100.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	5	1095	5475.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	5000	9.75	48750.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तैज करना	प्रति है०	5	1000	5000.00
9	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/सं०	प्रति है०	27	10000	270000.00
	योग प्रथम चरण				619437.50
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्ढा	5000	2.04	10200
2	कंदूर फरों में बीज बुआई(प्रति है० 300र.मी.)	प्रति है०	5	970	4850
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	5000	1.89	9450
4	पौध दुलान वाहन से 20 किमी०	प्र०सै०पौ०	5000	246	246000.0
5	पौध दुलान सिरबोझ 3.5 किमी०	प्र०सै०पौ०	5000	226	39550
6	बैग पौधों का वाहन में लदाई-उतराई	प्र०सै०पौ०	5000	182	9100
7	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	5000	3.84	19200
8	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	5000	5.05	25250
9	खाद व दवा पर व्यय	प्र०है०	5	1350	6750
10	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 प्रति है०	प्रति है०	5	772.5	3862.5
11	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलन पदार्थों को हटाना	प्रति है०	5	684	3420
12	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन सीट कय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटो ग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोःम्यूमेंटस	प्रति है०	5	1700	8500
13	कन्दूर खाईयों में घास रिलप का रोपण दुलान सहित एवं चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पुनरोत्पादित स्थानीय जैवविविधता वृक्ष व झाड़ी प्रजातियों को संरक्षित रखने व रख-रखाव पर व्यय	प्रति टफ	5	147	735
	योग द्वितीय चरण	-		&	386867.5
	कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण	-		&	1006305.00
	तृतीय चरण				

रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त काय)	प्रति है०	5	10984	54920
रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त काय)	प्रति है०	5	10984	54920
रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त काय)	प्रति है०	5	10984	54920
रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त काय)	प्रति है०	5	10984	54920
रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त काय)	प्रति है०	5	10984	54920
रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त काय)	प्रति है०	5	10984	54920
रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त काय)	प्रति है०	5	10984	54920
रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त काय)	प्रति है०	5	10984	54920
योग रखरखाव दशम वर्ष तक-				494280
			कुल योग-	1533730.00
			या-	1532655.00

प्रतिष्ठित

रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग

रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग

राजेन्द्र सिंह रावत
वन दरोगा
रायपुर रेंज।

प्रभागीय वन्यजीविकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-
जौनपुर के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर
मार्ग (कुल लम्बाई-3.00किमी०) के निर्माण हेतु
वांछित 2.295 है० वन भूमि का गैर वानिकी
कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के
अन्तर्गत लो०नि०वि०को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन
भूमि-2.205 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि-0.090 है० कुल 2.295 है०) मा०
उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको
क्लास VI के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.4 है। जिस हेतु
एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,97,000=00(रू० आठ: लाख सतानब्बे
हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन
रू० 20,58,615=00(रू० बीस लाख अठ्ठावन हजार छः सौ पन्द्रह मात्र) किया
गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन विभाग, मसूरी